परिशिष्ट "अ"

[29/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 1359]

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस)विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2(क)49/2010/बी--3/दो, भोपाल दिनांक 4/7/2012

/अधिसूचना/

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का 2)की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय को "सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाना, भोपाल" के नाम से पुलिस थाना घोषित करती है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता, सायबर स्पेस, सूचना संचार प्रौघोगिकी, उच्च तकनीकी अपराध, कापीराइटस, बौद्विक संपदा अधिकार, पायरेसी से सबंधित मामलों तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन अन्य सबंधित अपराधों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

4/7/12
(डी.पी. गुप्ता)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग

18.7
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
राज्य सायबर पुलिस
पु.मु. भोपाल

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh.

परिशिष्ट -अ-2

पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(क)49/2010/बी–3/दो भोपाल दिनांक 04.07.2012 द्वारा घोषित सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाना, भोपाल जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता सायबर स्पेस, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीकी अपराध, कॉपीराइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, पायरेसी से सम्बंधित मामलों तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन अन्य सम्बंधित अपराधों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है ।

वर्तमान में कैशलेस ट्रांजेक्शन का प्रचलन बढ़ने तथा सायबर अपराधो में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत प्रभावी अन्वेषण हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय थाने को सायबर अपराधों हेतु नोडल पुलिस थाना घोषित किया जाता है । उक्त सायबर नोडल थाने मे जिला मुख्यालय में पदस्थ तकनीकी रूप से योग्य टीम समर्पित रूप से कार्यरत रहेगी एवं जिला मुख्यालय स्थित उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी सायबर अपराधो से सम्बंधित समस्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी होंगे ।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक/पुमु/निसा/तिमनि/सायबर/20/17, भोपाल, दिनांक – 31/01/17

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु –

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर),
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.) पु.मु., भोपाल,
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सायबर),
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, म.प्र.,
5. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, म.प्र.,
6. पुलिस उप महानिरीक्षक शहर भोपाल/इंदौर,
7. समस्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (रेल) म.प्र.।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

सहायक पुलिस महानिरीक्षक
राज्य सायबर पुलिस
पु.मु. भोपाल

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Home (C) Department

CamScanner